

237

(24)

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक | 12.2009

क्रमांक-178/479/बी/2009/19, राज्य शासन एतद्वारा लोक निर्माण विभाग में विश्राम भवन/ विश्राम गृहों के किराया शुल्क की प्रचलित दरों में, आंशिक संशोधन करते हुए, नवीन दरों का पुनर्निर्धारण कर, निम्नानुसार लागू करता है :-

विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में लिये जाने वाले शुल्क :-

स.क्र.	विश्राम भवन/ विश्राम गृह	वर्तमान दर(रूपये)		नवीन संशोधित दर (रूपये)	
		प्रति कक्ष प्रति दिन)	प्रति हाल प्रति दिन)	प्रति कक्ष (प्रति दिन)	प्रति हाल (प्रति दिन)
1	राजभोगी शहर:- (जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर) पचमढी तथा खजुराहो	300.00	400.00	400.00	500.00
2	अन्य जिला मुख्यालय	250.00	300.00	300.00	400.00
3	तहसील स्तर पर	200.00	250.00	250.00	300.00
4	तहसील स्तर से नीचे	150.00	200.00	200.00	250.00

2/ पुनरीक्षित उपरोक्तानुसार नवीन दरें दिनांक 01.12.2009 से प्रभावशील होंगी।

3/ इस विषय में संबंधित, पूर्व से प्रचलित/लागू दरें, संशोधन के दिनांक से निरस्त समझी जावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

B. D. Soni

(बी.डी. सोनी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक | / 12 / 2009

पृ.क्र.178/479/बी/2009/19,

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन मंत्रालय भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 2886/मु.स./09 दिनांक 16.11.09 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, वित्त विभाग भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।

6. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
7. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
8. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल ।
9. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
10. रामरत संभागीय आयुक्त (मध्यप्रदेश)
11. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
12. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
13. प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
14. रामरत कलेक्टर (मध्यप्रदेश)
15. रामरत मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, म०प्र०
16. रामरत अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, म०प्र०
17. रामरत कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, म०प्र०

12-12-09

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग



स/०
 2/12-09
 Circulation
 Bhopal
 403
 11/12/09